मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल – 462004

Website : www.mpmandiboard.gov.in E-mail : jdmpsamb@gmail.com Tel: 0755-4270561

क्रमांक / बी–5 / 2 / अनुज्ञा–मॉडयूल / 2014–15 / 918 भोपाल दिनांक 28 अगस्त 2015

प्रति,

संयुक्त संचालक / उप संचालक,
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय,
भोपाल / इंदौर / उज्जैन / ग्वालियर / सागर / जबलपुर / रीवा (म0प्र0)

विषयः–प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में ई–(मण्डी) अनुज्ञा पत्र मॉडयूल को क्रियान्वित किये जाने संबंधी।

संदर्भः–कार्यालयीन पत्र क्रमांक / बी–5 / 2 / अनुज्ञा–मॉड्यूल / 2014–15 / 264–265 दिनांक 13 मई 2015 एवं पत्र क्रमांक 277–278 दिनांक 29 मई 2015।

–0–

उल्लेखित विषय में कार्यालयीन पत्र क्रमांक / बी–5 / 2 / अनुज्ञा–मॉड्यूल / 2014–15 / 302–303 दिनांक 01.08.2015 से "मण्डी शुल्क रसीद नंबर, मण्डी शुल्क रसीद दिनांक, मण्डी रसीद से जमा कुल मण्डी शुल्क की राशि की प्रविष्टि के उपरांत वर्तमान अनुज्ञा पत्र पर देय मण्डी शुल्क की प्रविष्टि की जानकारी दर्ज करने की प्रक्रिया दिनांक 01 अगस्त 2015 से प्रदेश की समस्त मण्डी समितियों में लागू होगी" एवं उपरोक्तानुसार जानकारी पूर्ण रुप से दर्ज होने पर ही प्रारुप–10 ऑनलाईन जमा हो पायेगा की जानकारी दी जाकर इसका पालन कड़ाई से सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

विषय संदर्भ में समीक्षा किये जाने पर यह पाया गया कि किसी भी संयुक्त संचालक / उप संचालक आंचलिक कार्यालय के द्वारा अपना प्रतिवेदन आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस स्थिति से स्पष्ट है कि बारम्बार निर्देश दिये जाने के बावजूद आपके द्वारा मण्डी बोर्ड मुख्यालय के निर्देशों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। अतः अंतिम रुप से निर्देशित किया जाता है कि एक सप्ताह की समय सीमा में अपना प्रतिवेदन अनिवार्य रुप से उपलब्ध करायें अन्यथा वस्तुस्थिति से प्रबंध संचालक महोदय को अवगत कराया जावेगा।

(ए0पी0एस0सोलंकी)
अपर संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक / बी–5 / 2 / अनुज्ञा–मॉडयूल / 2014–15 / 919 भोपाल दिनांक 28 अगस्त 2015

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(01) निज सहायक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल (म0प्र0)।

(02) उप संचालक (नियमन) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल (म0प्र0)।

(03) सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति .... जिला .... (म0प्र0) :– विषय संदर्भ में दिये गये निर्देशों का पालन अनिवार्य रुप से सुनिश्चित करें।

अपर संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल